

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

संख्या: 62/रा0स0/सू0अधि0/2005/2013 दिनांक: मार्च 13, 2013

आदेश

जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5 के अन्तर्गत सभी प्रशासनिक इकाईयों एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में एक जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी पदाविहित किये जाने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा-5 में दिये गये प्राविधानों के आलोक में जनपद लखनऊ की प्रत्येक तहसील के लिये जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी निम्नवत् नामित किये जाते हैं।

क्र० सं०	तहसील का नाम	जन सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1-	तहसील सदर, लखनऊ	तहसीलदार, सदर लखनऊ	उप जिलाधिकारी, सदर लखनऊ
2-	तहसील मलिहाबाद	तहसीलदार, मलिहाबाद	उप जिलाधिकारी, मलिहाबाद
3-	तहसील मोहनलालगंज	तहसीलदार, मोहनलालगंज	उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज
4-	तहसील बी०के०टी०	तहसीलदार, बी०के०टी०	उप जिलाधिकारी, बी०के०टी०

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कलेक्ट्रेट लखनऊ के जन सूचना अधिकारी, अपर नगर मैजिस्ट्रेट (प्रथम) तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) लखनऊ पूर्ववत् रहेंगे।

(अनुराग यादव)

जिलाधिकारी, लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ०प्र० इन्दिराभवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- समस्त अपर जिलाधिकारी जनपद लखनऊ।
- 4- नगर मैजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मैजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर जनपद लखनऊ।
- 5- प्रभारी अधिकारी (शिकायत) कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 6- जन सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 7- समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद लखनऊ।
- 8- विशेष कार्याधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
- 9- प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट/तहसील सदर/मलिहाबाद/मोहनलालगंज/बी.के.टी.
- 10- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. कलेक्ट्रेट लखनऊ को तदनुसार जन सूचना की वेबसाइट पर डालने हेतु।

(अनुराग यादव)

जिलाधिकारी, लखनऊ।

